

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज सोहन लाल जाखड़ बनाम लोक सूचना अधिकारी, (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353902623263616</p>	<p>नया लागू अदालत का इस हुक्म को लागू में जारी है</p>
<p>09/06/26</p>	<p>अपीलार्थी सोहन लाल जाखड़ निवासी जाखड़ों की द्वाणी नारवा, जोधपुर ने लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 13.04.2026 Rajasthan Tenancy Act, 1955 की धारा 177 से संबंधित मांगी गई सूचनाएं, वर्तमान में पूरे जोधपुर जिले में धारा 177 के अंतर्गत कुल कितने प्रकरण लंबित हैं एवं उपरोक्त लंबित प्रकरणों की तहसील-वार विस्तृत सूची उपलब्ध करवाने व अन्य विविध सूचना के लिए प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर रेषो. पक्ष अनुपस्थित एवं अपीलार्थी उपस्थित। रेषो. पक्ष लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर (शहर प्रथम) जोधपुर) ने अपनी तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त 722 दिनांक 22.05.2026 द्वारा अवगत करवाया की अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कार्यालय के पत्र दिनांक 22.05.2026 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर अपील खारिज योग्य होने से अस्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">(आलोक रंजन) जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Anil Ranjan
Designation: Collector and District
Magistrate
Date: 2026.06.09 12:23:37 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.:
22737989
M e-Sign